



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1943 (श0)

(सं0 पटना 49) पटना, बुधवार, 2 फरवरी 2022

परिवहन विभाग

अधिसूचना

2 फरवरी 2022

सं० 02/कर/शुल्क-11/2021, परि०/666—बिहार मोटरवाहन करधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा-6(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5 की उपधारा-1 के अन्तर्गत अनुसूची-1 भाग-ग के क्रमांक-7 के बाद क्रमांक-8 निम्नरूप से अंतःस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	वाहनों की श्रेणी	मोटरवाहन कर की दर
8.	निर्माण उपकरण वाहन (Construction Equipment Vehicle) एवं इस कोटि के अन्य गैर परिवहन वाहन, जो किसी कोटि में अच्छादित नहीं हो।	<p>(1) वाहन के Ex-Showroom Price का 6% एकमुश्त कर 15 वर्षों के लिए।</p> <p>(2) नवीकरण हेतु बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 अनुसूची-1, भाग-क, खण्ड-‘ब’ में निर्धारित वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि से उम्र की गणना करते हुए उपरोक्त कडिका-1 में उदग्रहण किये जाने वाले कर के प्रतिशत के आधार पर वाहन कर उदग्रहित किया जाएगा।</p> <p>(3) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 भाग-ग के क्रम संख्या-7 के अन्तर्गत निबंधित निर्माण उपकरण वाहन (Construction Equipment Vehicle) पर Ex-Showroom Price का 6% की दर से एकमुश्त कर का उदग्रहण किया जाएगा, परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गयी कर की राशि को अनुसूची-1 भाग-क खण्ड-ब के अनुसार घटाकर की जाएगी।</p>

2. मोटरयान अधिनियम (यथासंशोधित), 1988/केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली (यथा संशोधित), 1989 के अन्तर्गत निर्माण उपकरण वाहनों से संबंधित परिभाषायें एवं प्रावधान यथा स्थिति लागू होंगे।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात् प्रभावी होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 2nd February 2022

No.-02/कर/शुल्क-11/2021,परि0/666—In exercise of the powers conferred by section-6 (d) of Bihar Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act- 2016, serial no. 8 is inserted in following manner after serial no. 7 of part-C of schedule-1 of sub section-1 of section-5 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994:-

Sl. No.	Class of vehicles	Rate of the Motor Vehicle Tax
8	Construction Equipment Vehicle and other non transport vehicles of this class, which are not covered under any category	<p>(1) 6% of the Ex-Showroom Price of the vehicles as One Time Tax for 15 years.</p> <p>(2) In case of renewal, tax shall be levied on the basis of the percentage of tax specified in Colum-1 after considering the age of the vehicle from the date of its first registration as specified under part-A, clause-A schedule-1 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.</p> <p>(3) One Time Tax at the rate of 6% shall be imposed on registration of Construction Equipment Vehicle registered under sl. no.-7 of part-C of schedule-1 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, provided that One Time Tax shall be calculated after deduction of the amount of tax according to clause-B part-A of schedule-1 .</p>

2. Definitions and provisions concerning with Construction Equipment Vehicle shall be applicable as defined under Motor Vehicle Act, 1988 (as amended)/Central Motor Vehicle Rule, 1989 (as amended).
3. This notification shall come into effect from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 49-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>